




डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

पत्रांक: 2306-25 / एन.एल.यू.लखनऊ / प्रशा. / सी-127 / 2029(2929)
दिनांक: 22 अगस्त, 2025

सूचना

(चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना)

1. उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK के सहयोग से "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का संचालन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रतिभागियों को UK में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
2. The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK सरकार का एक मंत्रीस्तरीय विभाग है। यह विश्व में UK के राजनयिक, विकास और काउंसलर कार्यों का नेतृत्व करता है। भारत से ब्रिटिश उच्चायोग UK और भारत के बीच सम्बन्धों को बनाए रखता है। चिवनिंग ब्रिटिश काउंसिल की एक प्रशासनिक इकाई है।
3. "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से आरम्भ होगी, जो 03 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी। शैक्षणिक वर्ष 2026-27, 2027-28 तथा 2028-29 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। भविष्य में छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु शासन द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" हेतु अधिकतम 05 छात्रों का चयन किया जायेगा तथा UK के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक वर्ष की मास्टर डिग्री के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
5. आवेदन के समय www.chevening.org पर प्रभावी Chevening Guidance के अनुसार छात्रों को सूचीबद्ध किया जायेगा।
6. "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के संचालन की जिम्मेदारी Chevening प्रोग्राम के प्रशासक की होगी।
7. "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अंतर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया:-
 - (i) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन Chevening Online Application System के माध्यम से किया जायेगा।
 - (ii) आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के बाद Chevening द्वारा पात्र आवेदकों की एक सूची तैयार करेगा, जो पात्रता मानदण्डों के अनुसार होगा।
 - (iii) Chevening द्वारा चयनित योग्य आवेदनों में से 05 प्रतिभागियों का चयन करने हेतु एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ और एक अकादमिक विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, को भेजा जायेगा।
 - (iv) समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए अनुशंसित आवेदकों की एक लम्बी सूची तैयार की जायेगी।
 - (v) अनुशंसित आवेदकों की विस्तृत सूची के आवेदनों की समीक्षा FCDO द्वारा की जायेगी।
 - (vi) FCDO पोस्ट उन आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार करते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
 - (vii) FCDO पोस्ट Online Application System के माध्यम से शासन के साथ साक्षात्कार के लिए आवेदकों के विवरण साझा करेंगे।
 - (viii) Chevening चयनित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए सूचित करेगा।



डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University


-2-

- (ix) MoU में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि या तय की जाने वाली तिथि पर साक्षात्कार पैनल में सम्मिलित होंगे। प्रदेश सरकार एक बाहरी साक्षात्कार पैनलिस्ट को नामित कर सकती है। यदि बाहरी साक्षात्कार पैनलिस्ट किन्हीं कारणों से साक्षात्कार पैनल में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य हेतु FCDO Post को अधिकृत कर सकती है।
8. "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित भुगतान किये जायेंगे:-
(i) शैक्षणिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं Thesis शुल्क।
(ii) एकल छात्र के लिए रहने का खर्च हेतु पर्याप्त मासिक भत्ता।
(iii) एक भत्ता पैकेज।
(iv) निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया (इकनोमी क्लास) ताकि आने-जाने की यात्रा को Cover किया जा सके।
9. "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अंतर्गत प्रति छात्र लगभग £38,048-£42,076 (38,048-42,076 पाउन्ड) का व्यय आयेगा, जिसमें से राज्य सरकार को प्रति छात्र लगभग £19,800 (19,800 पाउन्ड) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। शेष धनराशि का निर्वहन The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK द्वारा किया जायेगा।

प्रतिलिपि:-

1. मा0 कुलपति महोदय।
2. विभागाध्यक्ष।
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट।

(डॉ0 संजय कुमार दिवाकर)
संयुक्त कुलसचिव


(डॉ0 संजय कुमार दिवाकर)
संयुक्त कुलसचिव